प्रदेश में वायुसेवा संचालित करने हेतु नीति

- उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हवाई सेवा की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित स्थलों पर आसानी से पर्यटकों का आवागमन हो सके। प्रदेश के आकार को देखते हुये इस प्रकार की सेवा से व्यापार एवं अर्थ–व्यवस्था को बढावा मिलेगा तथा प्रदेश के सुदूर स्थानों तक आसानी से आवागमन हो सकेगा। यह सेवा बौद्ध परिपथ में आने वाले पर्यटकों के लिये भी विशेष लाभकारी होगी। इसके अतिरिक्त झांसी, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ आदि नगरों को आपस में तथा अन्य पर्यटक केन्द्रों से जोड़ा जा सकेगा।
- वायु सेवा संचालन हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को नोडल विभाग नामित किया गया है।
- वायु सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न वायुमार्गो के लिए कुछ सीटें राज्य सरकार के उपयोग के लिए आरक्षित की जायेगी। इन आरक्षित सीटों के लिये विभिन्न वायुमार्गो पर किराये का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। विभिन्न वायुमार्गो पर आरक्षित सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी यात्रा कर सकेगें।
- यात्रा हेतु शासकीय कर्मचारियों, व्यापारियों तथा पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए प्रथम चरण में निम्नलिखित मार्गो पर वायुसेवा का संचालन प्रस्तावित हैः–

(1) लखनऊ–इलाहाबाद–लखनऊ	(7) वाराणसी–म्योरपुर–वाराणसी
(2) लखनऊ–आगरा– लखनऊ	(8) मुरादाबाद–इलाहाबाद–मुरादाबाद
(3) लखनऊ–वाराणसी–लखनऊ	(9) मेरठ–इलाहाबाद–मेरठ
(4) लखनऊ–मेरठ–लखनऊ	(10) मुरादाबाद–लखनऊ–मुरादाबाद
(5) लखनऊ–गोरखपुर–लखनऊ	(11) चित्रकूट–लखनऊ–चित्रकूट
(6) लखनऊ–म्योरपुर–लखनऊ	(12) लखनऊ–कुशीनगर–लखनऊ

- किसी भी उड़ान पर उपलब्ध कुल सीटों का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 9 सीटे (जा भी कम हो) हेतु अण्डरराइट की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।
- शिड्यूल्ड एअरलाइन्स् की भांति ही नान शिड्यूल्ड एअरलाइन्स् को भी ईंधन पर लगने वाले वैट की दर पर छूट प्रदान की जायेगी, यह 21 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत ही वायुसेवा प्रदाता द्वारा देय होगी, वैट में छूट की सुविधा केवल उन्हीं एअरलाइन्स् को प्रदान की जायेगी जिनके द्वारा वायुसेवा परिचालन प्रदेश के अन्दर किया जायेगा अर्थात इन वायुयानों का टेक ऑफ एवं लैडिंग प्रदेश में स्थित हवाई अड्डो/हवाई पट्टियों पर होगी।

- राज्य सरकार के नियत्रंणाधीन वायु पट्टियों पर वायु सेवा प्रदाता को लैंण्डिग एवं पार्किंग सुविधा प्रथम तीन वर्ष तक निःशुल्क प्राप्त होगी।
- वायु सेवा प्रदाता द्वारा सेवा संचालन हेतु दो इंजनों से युक्त वायुयान का ही उपयोग किया जायेगा।
- वायु सेवा संचालन/ टिकटिंग/सीट उपलब्धता में पारदर्शिता हेतु वायु सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वेब–पोर्टल का संचालन वायु सेवा प्रदाता एवं अपटुअर्स (उ0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम का ट्रेवल डिवीजन) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, जिससे अण्डरराइट होने वाली सीटों की सही स्थिति नोडल विभाग की जानकारी में रहे। प्रदेश में अपटुअर्स के कार्यालय लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, झांसी में स्थित हैं।
- अनुदान के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या अलग कोड के रूप में बुकिंग पोर्टल पर दर्शायी जायेगी, जिससे शासकीय अधिकारियों की यात्रा हेतु बुकिंग की जायेगी।
- वायु सेवा संचालन में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त प्राविधानों एवं वायुयानों का रख–रखाव वायु सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- वायु सेवा संचालन में वायु सेवा से सम्बन्धित शुल्क, जैसे लैण्डिंग चार्जेज, पार्किंग चार्जेज तथा अन्य एवियेशन चार्जेज वायु सेवा प्रदाता द्वारा वहन किये जायेंगे (राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन हवाई पट्टियों को छोड़ते हुए)। वायुसेवा प्रदाताओं को एम्बुलेन्स तथा फायर फाइटिंग टेण्डर्स की व्यवस्थाएं ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के नार्म्स के अनुसार स्वंय करनी होगी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के लिये पूर्व निर्धारित शुल्क देना होगा तथा सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- प्रस्तावित नीति की त्रैमासिक समीक्षा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित कर की जायेगी।
- प्रदेश में उपरोक्त नीति प्रथमतः तीन वर्ष के लिए लागू होगी।